भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2308

उत्तर देने की तारीखः 10.12.2024

अन्य पिछड़ा वर्ग

2308. श्री अनन्त नायकः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) क्रीमी लेयर की उच्चतम सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने ओबीसी संगठनों और विभिन्न हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हुए हैं;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर की अधिकतम सीमा की समीक्षा और संशोधन पिछली बार कब की गई थी;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी समिति का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त समिति द्वारा केन्द्र सरकार को अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (च): क्रीमी लेयर आय सीमा में संशोधन के लिए आखिरी आदेश कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएंडटी) द्वारा दिनांक 13.9.2017 को जारी किया गया था। आय सीमा में संशोधन समय-समय पर निरंतर आधार पर किया जाता है।

*****